उत्तर प्रदेश शासन

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

संख्या-17/2018/706/87-अति.ऊ.स्रो.वि./2018

लखनऊ : दिनांक : 10 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

विभिन्न जैव ऊर्जा परियोजनाएं जैसे बायो डीजल, बायो एथेनाल, मेथेनाल, बायोगैस/बायो सी.एन.जी., प्राडयूसर गैस, बायो कोल(पैलेट्स तथा ब्रिकेटस) उत्पादन इकाईयों द्वारा जैव ऊर्जा के उत्पादन से पर्यावरण सरंक्षण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये, पेट्रोलियम आधारित ईधन की खपत को उत्तरोत्तर रूप से कम करने, अतिरिक्त रोजगार सृजन तथा आर्गनिक खेती हेतु आवश्यक इनपुट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सक्षम उक्त परियोजनाओं के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन के प्रक्रिया दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-4/2018/151/35-1-2018-2/1(35)/2017 दिनांक 21 फरवरी 2018 द्वारा जारी किये जा चुके हैं। उक्त शासनादेश में इंगित उपर्युक्त जैव ऊर्जा परियोजना उत्पादन इकाईयां स्थापित किये जाने हेतु उद्यमिता मोड में कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं।

2- शासनादेश संख्या-4/2018/151/35-1-2018-2/1(35)/2017 दिनांक 21 फरवरी 2018 के बिन्दु सं0 4.3.2.1 के पृष्ठांकन नोट के बिन्दु संख्या-1 के क्रम में परियोजना लागत की परिभाषा एवं अन्य परिभाषायें, प्रोत्साहन प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र एवं वितरण की प्रक्रिया संलग्नक-1 के अनुसार होगी। सम्बन्धित नियमावली औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 तथा जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्राथमिक आवश्यकताओं के अनुरूप है।

3- शासनादेश संख्या-4/2018/151/35-1-2018-2/1(35)/2017 दिनांक 21 फरवरी 2018 के बिन्दु संख्या-4.3.2.1 के पृष्ठांकन नोट बिन्दु संख्या 7 के अनुसार प्रश्नगत कार्यक्रम में वर्णित समस्त सुविधायें शासनादेश की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक अनुमन्य होंगी।

4- शासनादेश संख्या-4/2018/151/35-1-2018-2/1(35)/2017 दिनांक 21 फरवरी 2018 के बिन्दु सं0 4.3.4 के अनुपालन के क्रम में यह अधिसूचना निर्गत की जा रही है।

संलग्नक-यथोक्त।

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांकः तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. प्रबन्ध निदेशक, पिकप/उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम।
6. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी, माल एवेन्यू, लखनऊ।
7. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. निदेशक, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण।
10. राज्य समन्वयक/सदस्य संयोजक, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, योजना भवन, लखनऊ।
11. अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत अनुभाग।
12. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
अरविन्द कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक-1

जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम की नियमावली

(शासनादेश सं0-4/2018/151/35-1-2018-2/1(35)/2017 दिनॉक 21 फरवरी, 2018)

(क) जैव ऊर्जा उद्यम की परिभाषा :-

(अ) समस्त प्रकार के अखाद्य प्रकृति के तैलीय उत्पादों/फैट का कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हुये राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त तकनीकी का उपयोग कर बायोडीजल उत्पादन की परियोजना।

(ब) समस्त प्रकार के सेलूलोज आधरित बायोमास का उपयोग करते हुये राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त तकनीकी का उपयोग करते हुये बायोएथैनाल उत्पादन की परियोजना।

(स) समस्त प्रकार के सड़ने योग्य बायोमास (बायो डिग्रडेबुल वेस्ट) का उपयोग कर राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त तकनीकी का उपयोग करते हुये बायोगैसबायो सी0एन0जी0 उत्पादन की परियोजना।

(द) समस्त प्रकार के वुडी (काष्ठीय बायोमास अपशिष्ट) का उपयोग कर राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त तकनीकी का उपयोग करते हुये बायोकोल (पैलेट्स तथा ब्रिकेट्स) उत्पादन की परियोजना।

(य) प्रोडयूसर गैस तकनीकी का उपयोग कर आफग्रिड मोड में स्वयं के उपयोग हेतु विद्युत उत्पादन की परियोजना।

नोटः- जैव ऊर्जा एवं उसके उत्पादन हेतु कच्चे माल की परिभाषा राज्य जैव ऊर्जा नीति -2014 में वर्णित परिभाषा से ली गई है।

(ख) निवेश की सीमा के अनुसार जैव ऊर्जा उद्यमों के प्रकार

स्तर-1. रू0 10 करोड़ अधिकतम

स्तर-2. रू0 10 करोड़ से अधिक तथा रू0 100 करोड़ तक

स्तर-3. रू0 100 करोड़ से ऊपर

(ग) वित्तीय सहायता हेतु परियोजना लागत के विभिन्न अंशों की गणना का आधार (औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन सम्बन्धित नियमावली के आधार पर):- परियोजना लागत की गणना निम्नानुसार की जायेगी ;

अ	भूमि	परियोजना हेतु भूमि के मूल्य हेतु भूमि के पंजीकृत दस्तावेज में उल्लिखित वास्तविक क्रय मूल्य एवं स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क मान्य होगा। यदि भूमि औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड अथवा किसी प्राधिकरण द्वारा आवण्टित की गयी है तो वास्तविक आवण्टन मूल्य को भूमि की लागत में सम्मिलित किया जायेगा। वित्तीय उपादान की गणना करते समय भूमि की लागत को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
ब	भवन	भवन का तात्पर्य परियोजना हेतु निर्मित नये भवन से है। यंत्र एवं संयंत्रों की स्थापना, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों, आन्तरिक (इन-हाउस) परीक्षण सुविधाओं, भण्डारण सुविधाओं एवं उत्पादन प्रक्रिया से सम्बन्धित नये भवनों के निर्माण में की गयी लागत को वास्तविक व्यय के आधार पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		भवन के मूल्य हेतु आगणित किया जायेगा। परियोजना लागत में प्रशासकीय भवन की लागत को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
स	अन्य निर्माण	अन्य निर्माण का तात्पर्य कम्पाउंड दीवार तथा द्वार, सुरक्षा केबिन, आंतरिक सड़कें, बोर वेल, पानी की टंकियां, जल व गैस की आंतरिक पाइप लाइन्स, नेटवर्क एवं अन्य सम्बन्धित निर्माण से है।
द	यंत्र एवं संयंत्र	यंत्र एवं संयंत्र का तात्पर्य नये स्वदेशी/आयातित यंत्र एवं संयंत्र, यूटिलिटीज, डाइज, मोल्ड्स से है, जिसमें यातायात की लागत, नींव, इरेक्शन, इन्स्टालेशन तथा इलेक्ट्रिफिकेशन सम्मिलित है। इलेक्ट्रिफिकेशन की लागत में सब-स्टेशन व ट्रांसफार्मर का मूल्य सम्मिलित होगा, ऐसे अन्य टूल तथा उपकरण, जोकि उत्पादन में सहायक हो, भी सम्मिलित किये जाएंगे।
	यंत्र एवं संयत्र में निम्नलिखित भी सम्मिलित होंगे	1. गैर-पारम्परिक ऊर्जा के उत्पादन का प्लाण्ट। 2. औद्योगिक इकाई परिसर के भीतर परिवहन हेतु वाहन एवं माल संचालन से सम्बन्धित उपकरण जोकि केवल ऐसे परिसर के भीतर माल के संचालन हेतु उपयोगी हों। 3. कैप्टिव पावर जनरेशन/को-जनरेशन प्लाण्ट। 4. जल के प्योरीफिकेशन का यंत्र। 5. प्रदूषण नियंत्रण के प्रयोजनार्थ यंत्र, जिसमें इफ्लुएन्ट्स/उत्सर्जनों अथवा ठोस/गैसीय वेस्ट का संग्रह, ट्रीटमेंण्ट, डिस्पोजल की सुविधा सम्मिलित है। 6. डीजल जनरेटिंग सेट्स एवं ब्वायलर।
य	अवस्थापना सुविधाएं	अवस्थापना सुविधाओं से तात्पर्य ऐसी नई सड़कें, सीवर लाईन, जल निकासी, पावर लाईन, रेलवे साइडिंग, अवस्थापना सुविधाएं (जिसमें ऐसी अन्य सुविधाएं जो कि इकाई के संचालन हेतु आवश्यक हों) से है जोकि औद्योगिक उपक्रम के परिसर को मुख्य अवस्थापकीय टंरक लाईनों से जोड़ती हो। इसके अलावा औद्योगिक उपक्रम के स्वंय प्रयोग हेतु इफ्लुएन्ट ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट, ट्रासंफार्मर एवं पावर फीडर की स्थापना भी इसमें सम्मिलित होगी।

(घ) <u>गुणवत्ता मानक</u> :-

बायो एथेनॉल, बायो डीजल, ड्रॉप-इन-फ्यूल, मेथेनॉल तथा अन्य बायो फ्यूल के उत्पादन में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित मानकों का प्रत्येक दशा में अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(च) <u>प्रथम आगत-प्रथम पावत की व्याख्या :-</u>

शासनादेश के बिन्दु संख्या-4.2.1(ब) में वर्णित प्रथम आगत-प्रथम पावत का तात्पर्य हैः ''वर्ष में दो बार विज्ञापन के आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेगें। एक बार में प्राप्त आवेदन पत्रों पर उनकी

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निवेश सीमा के आधार पर सम्बन्धित समिति के समक्ष एक साथ प्रस्तुत किया जायेगा। समिति के अनुमोदनोपरान्त मान्य प्रस्तावों को एक साथ ही लेटर आफ कम्फर्ट जारी किया जायेगा।

(छ) आवेदन पत्र का प्रारूप :- जैव ऊर्जा उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप निम्नवत् होगा ;

<u>आवेदन पत्र</u>

अ. फर्म/कम्पनी का नाम

ब. पंजीकृत पता

स. पत्राचार का पता

द. वांछित दस्तावेज जो संलग्न किया जाना आवश्यक हैः-

1. कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत प्रमाण पत्र, मेमोरैंडम आफ एसोशियेशन तथा आर्टिकल ऑफ एसोशियेशन की प्रति।
2. कम्पनी का पिछले तीन वर्ष की आडिटिंग बैलेन्शशीट (यदि कम्पनी नई पंजीकृत है तो प्रोप्राइटर डाइरेक्टर के फाइनेन्शियल क्रेन्डिशंयल जिसके आधार पर यह प्रमाणित किया जा सके कि प्रस्तावित उद्यम की स्थापना हेतु अंश पूँजी की व्यवस्था सम्बन्धित

   कम्पनी/प्रोप्राइटर के पास उपलब्ध है।
3. प्रस्तावित उद्यम हेतु भूमि के कागजात (पंजीकृत लीज/रजिस्ट्री के कागजात ही अनुमन्य होगें)।
4. विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0)
5. प्रस्तावित तकनीकी के सम्बन्ध में यदि कोई एम0ओ0यू0 (जिससे सम्बन्धित तकनीकी के उत्पाद का आंकलन किया जा सके)।
6. अन्य कोई विवरण यदि आवश्यक हो।

स्थान :
दिनॉक :

प्राधिकृत के हस्ताक्षर
तथा मोहर

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।